



2026:AHC:175450

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 7537 वर्ष 2026

नीरज यादव उर्फ गोलू यादव

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शैलेन्द्र कुमार यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. मैंने आवेदक के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार यादव और राज्य की ओर से एजीए श्री अजय सिंह को सुना।

2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 377/2025 (धारा 191(2), 115(2), 103(1) बीएनएस, थाना मरियाहूं, ज़िला जौनपुर) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में प्राथमिकी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने आवेदक का नाम बताया; और यह बात मानी गई है कि वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था।

4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि असल में इस मामले की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पायल पटेल थीं, जिनका मृतक के साथ अफेयर था। उनके अनुसार, 26.08.2025 को जब वह मृतक के साथ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बैठी थीं, तब सह-आरोपी सुंदरम और अनुज ने लकड़ी के डंडे से हमला किया, जिससे उसे चोटें आईं। इसलिए, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अनुसार, आवेदक ने मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचाई।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि आवेदक का इस मामले के अलावा सात अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास भी है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। धारा 109(1) बीएनएस के तहत एक मामले को छोड़कर, बाकी सभी मामले मामूली प्रकृति के थे और सभी मामलों में आवेदक ज़मानत पर है।

6. उन्होंने आगे कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए, केवल आवेदक के आपराधिक इतिहास के आधार पर उसकी ज़मानत प्रार्थना-पत्र को खारिज करना उचित नहीं है।

7. उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में भी आवेदक 28.08.2025 से, यानी लगभग एक साल से जेल में है।

8. इसके विपरीत, एजीए ने ज़मानत की मांग का विरोध किया, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्कों को चुनौती नहीं दे सके।

9. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख को देखा।

10. इस मामले में प्राथमिकी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने खुद ही आवेदक का नाम बताया, हालांकि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था।

11. इसके अलावा, अभिलेख से पता चलता है कि पायल पटेल घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थी और मृतक के साथ उसका चक्कर था। उसके अनुसार, घटना के दिन जब वह मृतक के साथ बैठी थी, तब आरोपी सुंदरम और अनुज ने उस पर हमला किया था; इसलिए उसके बयान से यह पता नहीं चलता कि आवेदक ने भी मृतक पर हमला किया था।

12. इसके अलावा, हालांकि इस मामले के अलावा आवेदक का सात अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है और एक मामले को छोड़कर बाकी मामले छोटे अपराधों से संबंधित हैं। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय में, केवल आवेदक के आपराधिक इतिहास के आधार पर उसकी जमानत प्रार्थना पत्र को रोकना उचित नहीं है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह लगभग एक साल से जेल में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक - **नीरज यादव उर्फ गोलू यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदारों को पेश करने पर उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के लिए पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 19, 2026

शाहरोज़